



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 33–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021 (PHALGUNA 12, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2021

No. 04-HLA of 2021/9/4561.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 04–HLA of 2021

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2021. Short title.
2. In item (ii) of Explanation 2 to section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), for the brackets and figure “(45)”, the brackets, figure and alphabet “(19A)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd January, 2019. Amendment of section 2A of Haryana Act 24 of 1973.
3. After section 60 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of section 60A in Haryana Act 24 of 1973.

“60A. Power of municipality to borrow.— (1) The Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, may in pursuance of any resolution passed by it, borrow by way of debenture or otherwise on the security of any immovable property vested in it or property proposed to be acquired by it or of all or any of the taxes, rates, cesses, fees and charges authorised by or under this Act, from banks or, from other public financial institutions, as the case may be, any sums of money which may be required,—

 - (a) for acquiring any land which it has power to acquire; or
 - (b) for erecting any building which it has power to erect; or
 - (c) for the execution of any permanent work, the provision of any plant, or the execution of any other thing which it has power to execute, provide or do, if the cost of carrying out the purpose in question ought to be spread over a term of years; or

- (d) to pay off any debt due to the State Government; or
- (e) to repay a loan previously raised under this Act or any other Act previously in force; or
- (f) for any other purpose for which the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, is, by virtue of this Act or any other law for the time being in force, authorised to borrow:

Provided that –

- (i) no loan, etc. under this section shall be raised without the previous sanction of the State Government;
- (ii) the amount of loan, the rate of interest and the terms including the date of flotation, the time and method of the repayment and the like shall be subject to the approval of the State Government.

(2) When any sum of money has been borrowed under sub-section (1), no portion of any sum of money borrowed for any of the purposes referred to in clause (c) of sub-section (1) shall be applied to the payment of salaries and allowances to any Municipal officer or other Municipal employee other than those exclusively employed in connection with the carrying out the said purposes.

(3) The Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, shall for the purposes of this section, be deemed to be a local authority for the purpose of the Local Authorities Loans Act, 1914 (Central Act 9 of 1914).”.

Insertion of section
62A in Haryana
Act 24 of 1973.

4. After section 62 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“62A. Disposal of property.- With respect to the disposal of the property belonging to the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, the following provisions shall have effect, namely:-

- (a) the authority as specified by the State Government may,-
 - (i) dispose of by sale or otherwise, any movable property belonging to the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, the depreciated value of which does not exceed two lakh rupees in case of Municipal Council and one lakh rupees in case of Municipal Committee;
 - (ii) grant a lease not exceeding a period of five years, of any immovable property belonging to the Municipal Council or Municipal Committee;
 - (iii) sell or grant a lease in perpetuity of any immovable property belonging to the concerned Municipal Council or Municipal Committee, the prevailing collector rate value of which does not exceed two lakh rupees in case of Municipal Council and one lakh rupees in case of Municipal Committee or the annual market rent of which does not exceed twenty thousand rupees in case of Municipal Council and ten thousand rupees in case of Municipal Committee;
- (b) in case not covered by clause (a), the said authority may, with the sanction of the State Government on recommendation of the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, lease, sell, let out on hire or otherwise transfer any property movable or immovable belonging to the Municipal Council or Municipal Committee;
- (c) subject to other provisions of this Act, the consideration for which any immovable property may be sold, leased or otherwise transferred under the aforesaid clauses shall not be less than value at which such immovable property could be sold, leased or otherwise transferred in normal and fair competition:

Provided that in case of transfer of immovable property to Government Department by way of sale or lease or otherwise, the property may be transferred at collector rate, subject to prior approval of the State Government:

Provided further that in case of transfer of shop or house to individual, who is in possession of such property for the last twenty years or more, by way of rent or lease or otherwise, the property may be transferred at collector rate or any other concessional rate, as may be determined by the State Government, by way of sale, subject to prior approval of such authority, as may be specified:

Provided further that ownership rights in respect of shops or houses which are on lease or rent or license fee or tehbazari or otherwise for the last twenty years or more, may be transferred by way of sale, on such terms and conditions, including the rate at which such ownership rights shall be transferred, as specified in the policy framed in this behalf by the State Government, from time to time.

- (d) the consideration for which any immovable property may be sold, leased or otherwise transferred to social, religious or charitable or educational institution, trust or social entities by the authority as specified by the State Government shall be as given below:-

Serial number	Nature of facility	Area	Tentative rate of sale
1	2	3	4
1.	Religious sites – the land of Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, for the purpose of worship (Mandir, Gurudwara, Masjid, Church, etc.) and for Community Dharamshalas, Janjghar, Baratghar, community centres or educational institutions etc.	upto 3000 square meters	(i) upto 2000 square meters, 50% of the collector rate, proportionate cost of development of the area and other incidental charges thereto. (ii) for 2001-3000 square meters, 100% of the collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto.
2.	Nandi Shala, Gaushalas or stray cattle yard.	upto 5 acres	50% of the Collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto:

Provided that the property shall be transferred by way of sale, lease or otherwise subject to prior approval of such authority, as may be notified by the State Government.

- (e) notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the authority shall sell, lease or let out on hire or otherwise transfer any moveable or immovable property belonging to the Municipal Council or Municipal Committee under the following circumstances, namely:-
- (i) on the directions of the State Government to sell, lease or otherwise transfer any moveable or immovable property of the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, for such consideration, as specified by the State Government;
 - (ii) when any policy framed by the State Government requires, as a part thereof, to sell, lease or otherwise transfer any moveable or immovable property of the Municipal Council or Municipal Committee for consideration as specified in the said policy:

Provided that the prior sanction of the State Government shall be required before the authority as specified by the State Government acts under clause (ii);

- (f) the sanction of the State Government under the aforesaid clauses may be given either generally for any class of cases or specially for any particular case;
- (g) subject to any condition or limitation that may be specified by or under any provision of this Act, the foregoing provisions of this section shall apply to every disposal of property belonging to the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, made under or for any purposes of this Act;
- (h) every case of disposal of property under clause (a), shall be intimated by the said authority, without delay to Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be.”.

Substitution of section 69 of Haryana Act 24 of 1973.

5. For section 69 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“69. Taxes which committee shall impose.- (1) For the purposes of this Act and subject to the provisions thereof, every committee shall impose the following taxes, namely :-

- (a) a property tax payable by the owner or occupier of a building or land in the municipal area, calculated depending upon the area in which the building or land is situated, its location, purpose for which it is used, its capacity for profitable use, quality of construction and other relevant factors, method of calculation and the rates for application be such, as the State Government shall, by notification in the Official Gazette specify. The rates of tax may be different for different types of properties like residential, non-residential or commercial, industrial, institutional etc. and may be at flat rate or at a graded scale; and in all cases, those shall be the floor rates and the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, may increase the rates prospectively at any time by following the due procedure as specified by the State Government.

Explanation.— For the purposes of this clause, the words “floor rate” means the minimum rate as specified in the notification to be issued under the said clause;

- (b) such other tax, at such rates as the State Government may by notification in each case direct;
- (c) a duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the municipality in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, as in force for the time being in the State of Haryana, on every instrument of the description specified below and at such rate, as the State Government may, by notification, direct, which shall not be less than one per centum and more than three per centum on the amount specified below against such instrument:-

	Description of instruments	Amount on which duty shall be levied
(i)	Sale of immovable property	the amount or value of the consideration for the sale as set forth in the instrument.
(ii)	Exchange of immovable property	the value of the property of the greater value as set forth in these instruments.
(iii)	Gift of immovable property	the value of the property as set forth in the instrument.
(iv)	Mortgage with possession of immovable property	the amount secured by the mortgage as set forth in the instrument.
(v)	Lease in perpetuity of immovable property	the amount equal to one-sixth of the whole amount or value of the rent which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease, as set forth in the instrument.

The said duty shall be collected by the Registrar or Sub-Registrar in the shape of non-judicial stamp paper at the time of Registration of the document and intimation thereof shall be sent to the committee immediately. The amount of the duty so collected shall be paid to the committee concerned.

(2) Save as provided in clause (a) of sub-section (1), the taxes as specified above shall be levied at such rates as may, from time to time, be specified by the State Government by notification and shall be assessed and collected in accordance with the provisions of this Act and the bye-laws made thereunder.

(3) Notwithstanding anything contained contrary to other provisions of this Act, the State Government may, by special or general order, direct the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, to impose any tax falling under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) not already imposed, within such period as may be specified and the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, shall thereupon act accordingly.

(4) If the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, fails to carry out any order passed under sub-section (3), the State Government may, by a suitable order notified in the Official Gazette, impose the tax and the order so passed shall operate as if the tax had been duly imposed by the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).”.

6. After section 70 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section
70A in Haryana
Act 24 of 1973.

“70A. Control and regulation of advertisement in public spaces.- (1) The authority as specified by the State Government, shall control and regulate all advertisements displayed in public spaces and means of transport in the municipal area. They shall for this purpose, identify the suitable spots and sites for displaying advertisement in the municipal area and may, as part of this exercise, invite, by wide publicity, applications from the interested persons for letting out public visual landscape of their premises or vehicles for display of advertisements. The authority as specified by the State Government shall decide all such applications made to him by finalising the identification of spots, sites and vehicles after taking into consideration such relevant factors, which are either specified by the State Government or directed in terms of any order of the court of law exercising such jurisdiction or specified under any policy of the State Government.

(2) Any person, desirous of putting up an advertisement at a spot, site or vehicle, identified under sub-section (1), shall make an application in such manner, as may be specified by the State Government, to the authority, for permission, who shall dispose of the same by taking into consideration all the relevant factors, within a reasonable time and may, while doing so, impose such other restrictions and conditions as befits the facts and circumstances of each case. No application shall, in any circumstances, be entertained for putting up an advertisement at a spot, site or vehicle different from those which have been identified under sub-section (1).

(3) The authority, as specified by the State Government, shall, before giving such a permission for putting up an advertisement under sub-section (2), shall enter into a rent sharing arrangement with the owner/occupier of the identified premises or owner/user of the identified vehicle (other than the building, land or vehicle belonging to the Municipal Council or Municipal Committee) where the advertisement is to be put up; and shall, at the time of giving permission, charge a permission fee from the applicant advertiser at the rates as determined by an authority appointed by the State Government for this purpose and different authorities may be appointed for different municipalities or regions of the State.

(4) The State Government may lay down guidelines/policy for the identification of sites, spots and vehicles, the processing of applications made for giving permission for putting up the advertisements, the rent sharing arrangements and other relevant matters, as it deems fit.

(5) No advertisement shall be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, hoarding, frame, post or structure or upon any vehicle or shall be displayed in any manner whatsoever in any place within the municipal area without the written permission of the authority as specified by the State Government.

Explanation.— For the purposes of this section, “a public space” means a place that is generally open and accessible to people and includes-

- (i) roads, flyovers, pavement, sidewalks, streets, public squares, parks, gardens, water bodies, lakes, river fronts, green belts along the roads;
- (ii) government buildings which are open to the public, such as public libraries, museums, monuments, zoos, aquariums, open air theatres, sports grounds, stadiums;
- (iii) railway stations, metro railway stations, bus stands, taxi stands, rickshaw stands, bus queue shelters, street furniture, parking places;
- (iv) all other lands, buildings and structures, whether in Government hands or private, that are visible from sidewalks, public thoroughfares and other public places in so far as they affect the public visual landscape.”.

Insertion of sections 75D and 75E in Haryana Act 24 of 1973.

7. After section 75C of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely: –

“75D. Levy of penalty on unlawful building.- (1) Whoever unlawfully constructs or reconstructs any building or part of a building,-

- (a) on his land without obtaining permission under this Act or any other law for the time being in force or any rules or bye-laws made thereunder or in contravention of any condition attached to such permission; or
- (b) on a site belonging to him which is formed without approval under the relevant applicable law, including rules framed/instructions issued thereunder; or
- (c) on any land belonging to, or leased by the Municipal Council or Municipal Committee, the Central Government or State Government, or any statutory Board/corporation or organization or company set up by any such Government, in breach of any provisions of this Act or of any other law for the time being in force and the rules and bye-laws made thereunder,

shall be liable to pay every year a penalty, which shall be equal to twice the amount of property tax leviable on such building, so long as it remains unlawful construction without prejudice to any proceedings which may be instituted against him in respect of such unlawful construction and the penalty paid under sub-section (1), shall be determined as collected under the provisions of this Act, as if the amount thereof were a property tax due against any such person:

Provided that none of such levy and collection of tax and penalty shall be construed as having regularised such unlawful construction or reconstruction for any period whatsoever of its such unlawful existence.

75E. Levy of penalty on unlawful use of a building or land.- (1) Whoever puts a building or land or a part thereof to any use either in contravention of any law for the time being in force regulating or controlling the use of such building or land or part thereof or in violation of an order or direction, if any, issued under such law, shall be liable to pay a penalty, which shall be equal to two times the amount of property tax that is leviable on such building or land or part thereof, as the case may be, under clause (a) of sub-section (1) of section 69 of this Act for the whole period of such unlawful use on annual basis, calculated construing part of a year as full year and the penalty paid under this sub-section shall be determined as collected under the provisions of this Act, as if the amount thereof were a property tax due against any such person.

(2) The penalty imposed or paid under sub-section (1), shall be without prejudice to any proceedings which may be instituted against the user in respect of such unlawful use and shall not clothe him with any right to raise the plea of regularisation of such unlawful use; and shall not be offset against any composition that may be lawfully accepted from him.”.

8. After section 84 of the principal Act, following section shall be inserted, namely:—
- Insertion of section 84A in Haryana Act 24 of 1973.
- “84A. Taxation of properties of Government of India.— Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, lands and buildings being properties of the Government of India shall be exempted from the taxes on lands and buildings specified in section 84:
- Provided that nothing in this section shall prevent the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, from levying any of the said taxes on such lands and buildings to which immediately before the 26th January, 1950, they were liable, or treated as liable, so long as that tax continues to be levied by the Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, on other lands and buildings:
- Provided further that nothing in this section, shall prevent the concerned Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be, for charging the service charges in lieu of services rendered as quantified by the said Municipal Council or Municipal Committee within the general guidelines of the State Government and instructions of the Government of India.”.
9. After section 99 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —
- Insertion of section 99A in Haryana Act 24 of 1973.
- “99A. Issue of no dues certificate for registration of certain documents.— A document in respect of sale, transfer, lease, gift or alienation, in any manner, of any land or building, situated in a municipal area, which is required to be registered under section 17 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), shall not be registered unless the said document is accompanied with a no dues certificate issued by the authority as specified by the State Government, which shall remain valid for a period of three months or for such other time period, as may be specified by the State Government, from time to time, certifying that all municipal dues including rents, taxes, cesses, charges, fees, fines and penalties in respect of such lands and/or buildings as mentioned in the document, payable or recoverable under this Act or the rules, bye-laws or regulations made thereunder, have been fully paid:
- Provided that the State Government may by order, exempt, wholly or partly, such lands and buildings, which have fallen for the first time or have fallen afresh in the municipal area as a result of a notification issued under sections 3 and 4 of the Act, from the requirements of this section, for such duration, as the State Government may deem fit.”.
10. In section 203G of the principal Act,-
- Amendment of section 203G of Haryana Act 24 of 1973.
- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 27th March, 2001, namely:—
- “Provided that where provisions of this Act are silent regarding the provision of the controlled area, then the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) shall be deemed to be applicable *mutatis mutandis* within the municipal limit.”.
11. For section 203H of the principal Act, the following section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd April, 2002, namely:-
- Substitution of section 203H of Haryana Act 24 of 1973.
- “203H. Issue of no objection certificate for sanction/release of electricity, water and sewerage connection.- Any person before making application to concerned authority for sanction/release of electricity, water and sewerage connection to any premises, shall obtain a no dues certificate from concerned Municipal Council or Municipal Committee, as the case may be and no authority shall sanction/release such connection unless no dues certificate is accompanied with the application.
- Explanation.**— For the purposes of this section, the term ‘sanction/release’ shall include restoration of disconnection or increase in capacity/load etc.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Several reasons, briefly explained below, have made it necessary to carry out amendment in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) by way of enacting Haryana Municipal (First Amendment) Act, 2021.
2. In the Section for the classification and constitution of Municipalities (2A) of the Haryana Municipal Act, 1973, for the population, inadvertently "Clause (45)" has been mentioned in place of "Clause (19A)". Actually Clause (45) deals with the similar matters for the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. This needs to be rectified and it is proposed to be rectified by way of carrying out amendment in Section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 with retrospective effect from 23rd day of January, 2019.
3. In the existing provisions of the Haryana Municipal Act, 1973, the Municipal Bodies have not been afforded the power or right to make commercial borrowings from the banks, etc. Now the Municipal Bodies are pressed hard for going in for commercially viable projects. Accordingly it is required to make enabling provisions to authorize the Municipal Bodies to avail commercial borrowings, by way of insertion of section 60A in the Haryana Municipal Act, 1973. Such a provision is already available in section 150 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.
4. There is no provision at present in the Haryana Municipal Act, 1973 for the disposal of municipal properties. So far such disposals are being made through the provisions of Rules. It is felt to be a much better system if such provision of disposal is included in the Act. This is proposed to be achieved by inserting section 62A in the Haryana Municipal Act, 1973.
5. The Government of India, on the recommendations of the NITI Aayog, has made a suggestion to levy and collect Property Tax based on assessment on the value of the property. So far in Haryana, such practice is not invogue. Further, it has also been proposed that the rates fixed by the Government should be floor rate and the Municipal Bodies should have the liberty to levy Property Tax at the rates higher than the floor rates. The section relating to the assessment and collection of Property Tax in the existing Haryana Municipal Act, 1973 does not mention it to be assessed and collect on the basis of the Capital Value or such related parameters. Therefore, there is a necessity to introduce such parameters through enabling provision to this effect by amending section 69 of the Haryana Municipal Act, 1973.
6. With the introduction of General Sales Tax Act, advertisement tax was subsumed in the Goods and Services Tax. However, provision to regulate the advertisements displayed in a public view is required to be made for the Municipal Bodies to control and regulate such advertisements (at times cluttering of such advertisements hampers the movement of traffic also). So far such provisions are being made through the provisions of bylaws. It is much better lawful system, if the procedure of regulation of advertisement is included in the Act, as it has been done in case of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Accordingly, the provision enabling to this effect are to be made by inserting section 70A in the Haryana Municipal Act, 1973.
7. There are certain buildings which are used for the purposes other than the permissible purposes in the locations where they are situated. The Property Tax on such buildings are required to be levied on the basis of "actual uses" and not on the "permissible uses" of the building as it is the actual uses which puts pressure on the civic services. Though Property Tax is in the nature of tax, having no direct nexus with proportionate services to be provided, yet in practice this tax is utilized by the municipal bodies substantially for providing civic services. Further it is also necessary to discourage such types of practices of unlawful use as they put excessive pressure on laid services resulting at times in highly deficient services as also inconvenience to the law abiding people. Accordingly there is a requirement to make a legal provision both for clarifying the nature of the levy of tax implications and providing for penal provisions by levying tax at increased rates on such properties. Therefore, to achieve the above aspects insertions of section 75D and 75E in the Haryana Municipal Act, 1973 are to be made.
8. In the Haryana Municipal Act, 1973, there is no provision regarding the fee to be charged from the properties of the Central Government where they are availing the services provided by the Municipal Bodies. This require to be introduced in order to bring clarity in this regard. Hence, section 84A is proposed to be inserted in the Haryana Municipal Act, 1973 to achieve this purpose which is already in existence under section 92 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.
9. To make the Registration of Property very realistic and to be regulated in a better way, provision has been made in procedure laid down by the Revenue Department. Apart from other requirements, No Due Certificate is now required to be obtained from the Municipal bodies. Such provisions do not exist in the existing law. Accordingly enabling provisions to this effect are required to be made by inserting section 99A in the Haryana Municipal Act, 1973.

10. With effect from 27.03.2001, the requisite powers of regulations within Control Area were vested with the Municipal Bodies. It has been noticed that there are certain places where the Act is silent about the corresponding provisions of the Town & Country Planning Department Act (Act No. 41 of 1963). It is accordingly necessary to make enabling provisions by inserting proviso in section 203G of the Haryana Municipal Act, 1973 with retrospective effect from 27th day of March, 2001.

11. The existing provisions about No Due Certificate for sanction/release of electricity, water and sewerage connection happens to be ambiguous in the Haryana Municipal Act, 1973. It is required to be made more clear by substituting section 203H of the Haryana Municipal Act, 1973 with retrospective effect from 2nd day of April, 2002.

Hence this bill.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 3rd March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 4 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,
1973, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2क का संशोधन।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 60क का रखा जाना।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2क की व्याख्या 2 की मद (ii) में, "(45)" कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर, "(19क)" कोष्ठक, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 जनवरी, 2019 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 60 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"60क. उधार लेने की नगरपालिका की शक्ति.— (1) नगर परिषद् या नगरपालिका, जैसी भी स्थिति हो, इसके द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुसरण में, बैंक से या अन्य लोक वित्त संस्थाओं से, जैसी भी स्थिति हो, इसमें निहित किसी अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर डिबेन्चर या अन्यथा के माध्यम से या इसके द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्राधिकृत करों, दरों, उपकरों, फीसों तथा प्रभारों की सभी या किन्हीं धनराशि को उधार ले सकती है जो निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हो,—

- (क) किसी भूमि, जिसे इसको अर्जित करने की शक्ति हो, को अर्जित करने के लिए ; या
- (ख) किसी भवन, जिसे इसको परिनिर्मित करने की शक्ति हो, को परिनिर्मित करने के लिए;
- (ग) किसी स्थायी संकर्म के निष्पादन, किसी संयंत्र के उपबन्ध, या किसी अन्य कार्य के निष्पादन, जिसे इसको निष्पादित करने या उपबन्धित करने या करने की शक्ति है, के लिए यदि प्रश्नगत प्रयोजन को कार्यान्वित करने की लागत वर्षों तक विस्तृत होनी चाहिए ; या
- (घ) राज्य सरकार को देय किसी ऋण का भुगतान करने हेतु ; या
- (ङ.) इस अधिनियम या पूर्व में लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन पूर्व में लिए गए किसी ऋण का पुनर्भुगतान करने हेतु ; या
- (च) किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिए नगर परिषद् या नगर पालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के आधार पर उधार लेने हेतु प्राधिकृत है :

परन्तु,—

- (i) इस धारा के अधीन कोई भी ऋण इत्यादि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना लिया नहीं जाएगा ;
- (ii) ऋण की राशि, ब्याज की दर तथा अवधि, जिसमें लिए जाने की तिथि, समय तथा पुनर्भुगतान का ढंग तथा समरूप शामिल हैं, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(2) जब कोई धन राशि उप-धारा (1) के अधीन उधार ली गई है, तो उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में निर्देशित किन्हीं प्रयोजनों के लिए उधार ली गई किसी धन राशि का कोई भी प्रभाग, केवल उक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के संबंध में नियोजित से भिन्न किसी नगरपालिका अधिकारी या अन्य नगरपालिका कर्मचारी के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु लागू नहीं होगा।

(3) नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (1914 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में समझी जाएगी।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 62 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 62क का रखा जाना।

“62क. सम्पत्ति का निपटान.- नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बन्धित सम्पत्ति के निपटान के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

- (क) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण,-
- नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बन्धित किसी अचल सम्पत्ति, जिसका मूल्यहासित मूल्य नगर परिषद् की दशा में दो लाख रूपए से तथा नगरपालिका समिति की दशा में एक लाख रूपए से अधिक नहीं है, का विक्रय या अन्यथा द्वारा निपटान कर सकता है ;
 - नगर परिषद् या नगरपालिका समिति से सम्बन्धित किसी अचल सम्पत्ति को पाँच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है;
 - सम्बद्ध नगर परिषद् या नगरपालिका समिति से सम्बन्धित किसी अचल सम्पत्ति, जिसका चालू कलक्टर दर मूल्य नगर परिषद् की दशा में दो लाख रूपए तथा नगरपालिका समिति की दशा में एक लाख से अधिक नहीं है या जिसका वार्षिक बाजार किराया नगर परिषद् की दशा में बीस हजार रूपए तथा नगरपालिका समिति की दशा में दस हजार रूपए से अधिक नहीं है, को बेच सकता है या स्थायी पट्टे पर दे सकता है;
- (ख) यदि खण्ड (क) के अधीन शामिल नहीं है, तो उक्त प्राधिकरण, नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति से, नगर परिषद् या नगरपालिका समिति से सम्बन्धित किसी चल या अचल सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराए पर दे सकता है या अन्यथा अन्तरित कर सकता है।
- (ग) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, प्रतिफल जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति उपरोक्त खण्डों के अधीन बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती है, मूल्य जिस पर सामान्य तथा उचित प्रतियोगिता में ऐसी अचल सम्पत्ति बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती थी, से कम नहीं होगा :

परन्तु विक्रय या पट्टे या अन्यथा द्वारा सरकारी विभाग को अचल सम्पत्ति के अन्तरण की दशा में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन सम्पत्ति कलक्टर दर पर अन्तरित की जा सकती है :

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को दुकान या गृह का अन्तरण करने की दशा में, जिसके पास किराए या पट्टे या अन्यथा के रूप में पिछले बीस वर्ष या अधिक के लिए ऐसी सम्पत्ति का कब्जा है, ऐसे प्राधिकरण, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अधीन, सम्पत्ति विक्रय द्वारा कलक्टर दर या किसी अन्य रियायती दर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए, पर अन्तरित की जा सकती है :

परन्तु यह और कि दुकान या गृह, जो पिछले बीस वर्ष या से अधिक के लिए पट्टे या किराए पर या अनुज्ञप्ति फीस या तहबजारी या अन्यथा पर हैं, के संबंध में स्वामित्व अधिकार, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त बनाई गई पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट दर जिस पर ऐसे स्वामित्व अधिकार अन्तरित किए जाएंगे सहित ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर विक्रय के माध्यम से अन्तरित किए जा सकते हैं।

- (घ) प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा किसी सामाजिक, धार्मिक या धर्मार्थ या शैक्षणिक संस्था, न्यास या सामाजिक संस्था को विक्रय, पट्टे पर दी या अन्यथा से अन्तरित की जा सकती है, निम्न अनुसार होगा :-

क्रम संख्या	सुविधा का स्वरूप	क्षेत्र	विक्रय की अनन्तिम दर
1	2	3	4
1.	धार्मिक स्थल- पूजा स्थल (मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, इत्यादि) के प्रयोजन के लिए नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, की तथा सामुदायिक	3000 वर्ग मीटर तक	(i) 2000 वर्ग मीटर तक, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत। (ii) 2001-3000 वर्ग मीटर के लिए, कलक्टर दर, क्षेत्र के

	धर्मशालाओं, जंजघर, बारातघर सामुदायिक केन्द्रों या शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि के लिए भूमि।		विकास प्रभारों की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 100 प्रतिशत।
2.	नन्दीशाला, गोशाला या आवारा पशु प्रांगण।	5 एकड़ तक	कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास प्रभारों की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत :

परन्तु सम्पत्ति, ऐसे प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अधीन विक्रय, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।

- (इ) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, प्राधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन नगर परिषद् या नगरपालिका समिति से सम्बन्धित किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचेगा, पट्टे पर, या किराए पर या अन्यथा अन्तरित करेगा, अर्थात् :-
- (i) राज्य सरकार के निर्देशों पर, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रतिफल के लिए, नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा अन्तरित करना ;
- (ii) जब राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी पॉलिसी, उसके भाग के रूप में, उक्त पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिफल के लिए नगर परिषद् या नगरपालिका समिति की किसी चल या अचल सम्पत्ति को बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा अन्तरित करना अपेक्षित है:

परन्तु खण्ड (ii) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय लेने से पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी ;

- (च) उपरोक्त खण्डों के अधीन राज्य सरकार की स्वीकृति मामलों के किसी वर्ग के लिए या तो सामान्यतः या किसी विशेष मामले के लिए विशेषतः दी जा सकती है ;
- (छ) किसी शर्त या सीमा, जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है, के अधीन, इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या के प्रयोजनों के लिए नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बन्धित सम्पत्ति के प्रत्येक निपटान को लागू होंगे ;
- (ज) खण्ड (क) के अधीन सम्पत्ति के निपटान का प्रत्येक मामला उक्त प्राधिकरण द्वारा, नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।”।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 69 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“69. कर जो समिति अधिरोपित करेगी.— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक समिति निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगी, अर्थात् :-

- (क) क्षेत्र जिसमें भवन या भूमि स्थित है के आधार पर संगणित नगर क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा भुगतानयोग्य कोई सम्पत्ति कर, इसकी अवस्थिति, प्रयोजन जिसके लिए यह उपयोग किया जाता है, लाभयोग्य उपयोग के लिए इसकी क्षमता, निर्माण की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत कारक, आवेदन के लिए संगणना का ढंग तथा दर, ऐसी होगी, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। कर की दरें, सम्पत्तियों की विभिन्न किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, जैसे आवसीय, गैर-आवासीय या वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत इत्यादि तथा समान दरों या श्रेणीकृत पैमाने पर हो सकती है ; तथा सभी मामलों में, ये फ्लोर दरें होंगी तथा नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सम्यक् प्रक्रिया अपनाते हुए किसी भी समय दरों में भविष्यलक्षी प्रभाव से वृद्धि कर सकती है।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, “फ्लोर दर” शब्दों से अभिप्राय है, उक्त खण्ड के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर ;

- (ख) ऐसी दर जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मामले में निर्देश करे, पर ऐसे अन्य कर ;
- (ग) हरियाणा राज्य में तत्समय लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क नीचे विनिर्दिष्ट विवरण की प्रत्येक लिखत पर, तथा ऐसी दर पर कोई शुल्क, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे, जो ऐसी लिखतों के सामने नीचे विनिर्दिष्ट राशि पर, एक प्रतिशत से कम तथा तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:—

लिखत का विवरण	राशि जिस पर शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा ।
(i) अचल सम्पत्ति का विक्रय	राशि या लिखत में बताए गए विक्रय के लिए प्रतिफल का मूल्य ।
(ii) अचल सम्पत्ति का विनिमय	इन लिखतों में बताए गए अधिसूचना की सम्पत्ति का मूल्य ।
(iii) अचल सम्पत्ति का उपहार	लिखत में बताई गई सम्पत्ति का मूल्य ।
(iv) अचल सम्पत्ति का कब्जे सहित बंधक	लिखत में बताई गई प्रतिभूत राशि बंधक द्वारा प्राप्त राशि ।
(v) अचल सम्पत्ति का स्थायी पट्टा	लिखत में बताई गई सम्पूर्ण राशि के छठे भाग के बराबर राशि अथवा किराए का मूल्य, जो पट्टे के प्रथम पचास वर्षों के संबंध में भुगतान या परिदत्त किया जाएगा ।

उक्त शुल्क दस्तावेज के पंजीकरण के समय न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर के रूप में रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी सूचना समिति को तुरन्त भेजी जाएगी। इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि सम्बद्ध समिति को भुगतान की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) में यथा उपबंधित के सिवाय उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट कर, ऐसी दर, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, पर उद्गृहीत किया जाएगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाई गई उप-विधियों के अनुसार निर्धारित तथा संगृहीत किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश द्वारा, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन आने वाले किसी कर, जो पहले अधिरोपित न किया गया हो, को ऐसी अवधि के भीतर जो नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अधिरोपित करने के लिए जो नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, को निर्दिष्ट कर सकती है तथा तदनुसार उस पर कार्य करेगी।

(4) यदि नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, उप-धारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित उपयुक्त आदेश द्वारा, कर अधिरोपित कर सकती है और इस प्रकार पारित किया गया आदेश इस प्रकार लागू होगा मानो कर उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सम्यक् रूप से अधिरोपित किया गया था।

6. मूल अधिनियम की धारा 70 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“70क. सार्वजनिक स्थानों में विज्ञापन का नियन्त्रण तथा विनियमन.— (1) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन के साधनों में प्रदर्शित सभी विज्ञापनों को नियन्त्रित तथा विनियमित करेगा। वे इस प्रयोजन के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्पार्टेस तथा स्थलों को परिलक्षित करेंगे तथा इस अभ्यास के भाग के रूप में, विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए अपने परिसरों या वाहनों

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 70क का रखा जाना।

के सार्वजनिक दृश्य परिदृश्यों को किराए पर देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों, से व्यापक प्रचार द्वारा, आवेदन आमन्त्रित कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे सुसंगत कारकों, जो या तो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हैं या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने वाले विधि न्यायालय के किसी आदेश के अनुसार निर्देशित या राज्य सरकार की किसी पॉलिसी के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं, पर विचार करने के बाद स्पॉट्स, स्थलों या वाहनों की पहचान को अन्तिम रूप देते हुए उसके द्वारा किए गए सभी आवेदनों का विनिश्चय करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिलक्षित स्पॉट, स्थल या वाहन पर विज्ञापन लगाने का इच्छुक कोई व्यक्ति, अनुमति के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में आवेदन करेगा, जो युक्तियुक्त समय के भीतर सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए उसका निपटान करेगा तथा ऐसा करते समय ऐसे अन्य निबंधन तथा शर्तें अधिरोपित कर सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुकूल हों। किन्हीं परिस्थितियों में, उप-धारा (1) के अधीन परिलक्षित से भिन्न किसी स्पॉट, स्थल या वाहन पर कोई विज्ञापन लगाने हेतु कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-धारा (2) के अधीन कोई विज्ञापन लगाने हेतु ऐसी कोई अनुमति देने से पूर्व, परिलक्षित परिसरों के स्वामी/अधिभोगी या परिलक्षित वाहन (नगर परिषद् या नगरपालिका समिति से सम्बन्धित भवन, भूमि या वाहन से भिन्न) जहां विज्ञापन लगाया जाना है के स्वामी/उपयोगकर्ता के साथ रेंट शेरिंग व्यवस्था करेगा; तथा अनुमति देते समय, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित दरों पर आवेदक विज्ञापनदाता से अनुमति फीस प्रभारित करेगा तथा राज्य के भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओं या क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकार, स्थलों, स्पॉट तथा वाहनों की पहचान हेतु विज्ञापन लगाने की अनुमति देने के लिए किए गये आवेदनों की प्रक्रिया, रेंट शेरिंग व्यवस्था और अन्य सम्बंधित मामलों, जो वह उचित समझे, के लिए मार्गदर्शन/पॉलिसी अधिकथित कर सकती है।

(5) कोई भी विज्ञापन, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी भूमि, भवन, दीवार, विज्ञापन होडिंग, फ्रेम, खंभा या संरचना या किसी वाहन पर खड़ा नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, लगाएगा नहीं जाएगा या रखा नहीं जाएगा या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान में किसी भी रीति जो भी हो, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय है, कोई स्थान जो साधारणतः जनता के लिए खुला तथा की पहुंच में हो, तथा इस में निम्नलिखित शामिल है :—

- (i) सड़क फ्लाईओवर, खंडजा, पटरी, गली, सार्वजनिक चौक, पार्क, बाग, जल निकाय, झील, नदी किनारा, सड़कों के साथ-साथ हरित पट्टी;
- (ii) सरकारी भवन जो जनता के लिए खुले हैं जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, संस्मारक, चिड़िया घर, मछलीघर, खुला थियेटर, खेल मैदान, स्टेडियम;
- (iii) रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, टैक्सी अड्डा, रिकशा अड्डा, बस क्यू शैल्टर, गली फर्नीचर, पार्किंग स्थान;
- (iv) सभी अन्य भूमियां, भवन तथा संरचना, चाहे सरकारी हाथों में या निजी हो, जो पटरी, सार्वजनिक आम रास्ते से दृश्य हैं अन्य सार्वजनिक स्थान जहाँ तक वे सार्वजनिक दृश्य परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 75घ तथा 75ड का रखा जाना।

7. मूल अधिनियम की धारा 75ग के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"75घ. अवैध भवन पर शास्ति का उद्ग्रहण.— (1) जो कोई भी,—

- (क) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उप-विधियों के अधीन अनुमति प्राप्त किए बिना या ऐसी अनुमति से जुड़ी किसी शर्त की उल्लंघना में अपनी भूमि पर; या
- (ख) उससे सम्बंधित स्थल, जो सुसंगत लागू विधि, जिसमें इसके अधीन बनाए गए नियम/जारी किए गए अनुदेश शामिल हैं, के अधीन अनुमोदन के बिना, बनाया गया है, पर; या

- (ग) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के भंग में, नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी ऐसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी वैधानिक बोर्ड/निगम या संगठन या कम्पनी से सम्बंधित या द्वारा पट्टे पर दी गई किसी भूमि पर,

किसी भवन या भवन के भाग पर अवैध निर्माण या पुनर्निर्माण करता है, तो वह प्रत्येक वर्ष शास्ति, जो ऐसे भवन पर उद्गृहणीय सम्पत्ति कर की राशि को दोगुना के बराबर होगी, के भुगतान हेतु दायी होगा जब तक यह किन्हीं कार्यवाहियों, जो ऐसे अवैध निर्माण के सम्बंध में उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवैध निर्माण रहता है तथा उप-धारा (1) के अधीन भुगतान की गई शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा संगृहीत अवधारित की जाएगी मानो उसकी राशि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध देय सम्पत्ति कर था:

परन्तु कर के ऐसे उद्गृहण तथा संग्रहण शास्ति का उनकी ऐसी अवैध विद्यमानता की किसी भी अवधि जो भी हो के लिए ऐसे अवैध निर्माण या पुनर्निर्माण को नियमित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

75ड.— भवन या भूमि के अवैध उपयोग पर शास्ति का उद्गृहण.— (1) जो कोई भी या तो ऐसे भवन या भूमि या उसके किसी भाग के किसी उपयोग को विनियमित या नियन्त्रित करने वाले तत्समय लागू किसी विधि की उल्लंघना में या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश, यदि कोई हो, की उल्लंघना में भवन या भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग करता है, तो वह शास्ति, को सम्पत्ति कर की राशि, जो सम्पूर्ण वर्ष के रूप में किसी वर्ष के संगणित परिकलित भाग, वार्षिक आधार पर ऐसे अवैध उपयोग की सम्पूर्ण अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे भवन या भूमि या उसके भाग, जैसी भी स्थिति हो, पर उद्गृहणीय है, के दोगुना के बराबर होगी, के भुगतान के लिए दायी होगा तथा इस उप-धारा के अधीन भुगतान की गई शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा संगृहीत अवधारित की जाएगी, मानो उसकी राशि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध देय सम्पत्ति कर था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित या भुगतान की गई शास्ति, किन्हीं कार्यवाहियों, जो ऐसे अवैध उपयोग के सम्बंध में उपयोगकर्ता के विरुद्ध संस्थित की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसे अवैध उपयोग के विनियमन के किसी तर्क को उत्पन्न करने वाले किसी अधिकार के साथ ढकी नहीं जाएगी तथा कोई प्रशमन जो उससे विधिपूर्ण स्वीकार किया जा सकता है, के विरुद्ध बदला नहीं जाएगा।

8. मूल अधिनियम की धारा 84 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

84क. भारत सरकार की सम्पत्तियों का कराधान.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, भारत सरकार की भूमियां तथा निर्माण सम्पत्तियां होने पर भी धारा 84 में विनिर्दिष्ट भूमियों तथा निर्माणों को करों से छूट दी जाएगी:

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 84क का रखा जाना।

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, ऐसी भूमियों तथा निर्माणों पर उक्त करों में से किन्हीं को उद्गृहीत करने से नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं रोकेगी जो वे 26 जनवरी, 1950 से ठीक पहले दायी थे या दायी समझे गए थे, जहां तक कि कर अन्य भूमियों तथा निर्माणों पर नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उद्गृहीत किए जाने के लिए जारी रहता है :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात, सम्बद्ध नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, को राज्य सरकार के सामान्य मार्ग-दर्शन तथा भारत सरकार के अनुदेशों के भीतर उक्त नगर परिषद् या नगरपालिका समिति द्वारा यथा निर्धारित दी गई सेवाओं के बदले में सेवा प्रभारों को प्रभारित करने के लिए नहीं रोकेगी।

9. मूल अधिनियम की धारा 99 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“99क. कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना.— नगरपालिका क्षेत्र, में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रामण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 99क का रखा जाना।

तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगा:

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो राज्य सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।”।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203छ का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 203 छ में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, तथा 27 मार्च, 2001 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां इस अधिनियम के उपबंध नियन्त्रित क्षेत्र के उपबंध के सम्बंध में मौन हैं, तब पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के उपबंध नगरपालिका सीमा के भीतर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू हुए समझे जाएंगे।”।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203ज का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 203ज के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा 02 अप्रैल, 2002 से लागू हुई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“203ज. बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.—कोई भी व्यक्ति, किन्हीं परिसरों के लिए बिजली, जल तथा मलजल कनक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन करने से पूर्व, सम्बद्ध नगर परिषद् या नगरपालिका समिति, जैसी भी स्थिति हो, से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा तथा कोई भी प्राधिकारी ऐसा कनक्शन तब तक स्वीकृत/जारी नहीं करेगा जब तक आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘स्वीकृति/जारी करना’ अभिव्यक्ति में, डिसकनक्शन के रेस्टोरेशन या क्षमता/लोड इत्यादि में वृद्धि शामिल होगी।”।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. बहुत से कारणों, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, के दृष्टिगत हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) में हरियाणा नगर पालिका (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा संशोधन आवश्यक है।
2. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की, नगर पालिकाओं के वर्गीकरण तथा गठन के लिए धारा (2क) में जनसंख्या के लिए गलती से धारा का खण्ड (45), खण्ड (19क) के स्थान, पर वर्णित किया गया है। वास्तव में खण्ड (45) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के समरूप मामलों से सम्बन्धित है। इसे सुधारे जाने की आवश्यकता है तथा यह 23 जनवरी, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क में संशोधन के रूप किया जाना प्रस्तावित है।
3. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के वर्तमान उपबन्धों में, नगर पालिका निकाय, बैंक आदि से वाणिज्यिक उधार लेने के अवसर या अधिकार में समर्थ नहीं है तथा अब नगर पालिका निकाय, वाणिज्यिक व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए दबाव में है। तदानुसार, वाणिज्यिक उधार लेने का लाभ उठाने के लिए नगरपालिका निकायों को प्राधिकृत करने में समर्थ उपबन्ध प्रारम्भ करने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 60क रखी जानी है, जो हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 150 में पहले ही उपलब्ध है।
4. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में इस समय नगर पालिका सम्पत्तियों के निपटान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब तक ऐसे मामलों के निपटान, नियमों के उपबन्धों के माध्यम से किये जा रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि यदि ऐसे मामलों के निपटान की प्रक्रिया अधिनियम में शामिल की जाती है तो वह बेहतर है। इसे हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 62क रखकर प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
5. भारत सरकार ने नीति आयोग की सिफारिश पर सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्पत्ति की कीमत पर करते हुये सम्पत्ति कर का उद्ग्रहण तथा एकत्र करने का सुझाव दिया है। अब तक हरियाणा में ऐसी प्रथा प्रचलन में नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सरकार द्वारा नियत दरें फ्लोर दर होनी चाहिए तथा नगर पालिका निकायों को फ्लोर दरों से उच्चतर दरों पर सम्पत्ति कर उद्ग्रहण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वर्तमान हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की सम्बन्धित धाराओं में सम्पत्ति कर के निर्धारण तथा संग्रहण बारे यह वर्णित नहीं है कि इसे पूंजीगत मूल्य या सम्बन्धित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित तथा एकत्र किया जाना है। इसलिए, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69 में संशोधन करके इस आशय के लिए समर्थ उपबन्ध करने के माध्यम से ऐसे मापदण्ड आरम्भ करने की आवश्यकता है।
6. साधारण विक्रय कर अधिनियम के प्रारम्भ से, विज्ञापन कर, माल तथा सेवा कर में शामिल कर दिया गया था। तथापि, सार्वजनिक दृष्टि से विज्ञापन प्रदर्शित करने को विनियमित करने व ऐसे विज्ञापनों को नियन्त्रित तथा विनियमित करने हेतु नगर पालिका निकायों के लिये उपबन्ध किये जाने अपेक्षित हैं (कई बार ऐसे अव्यवस्थित विज्ञापन यातायात के संचालन को भी बाधित करते हैं)। अब तक ऐसे उपबन्ध उप-विधियों के उपबन्धों के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह बहुत बेहतर कानूनी प्रणाली होगी, यदि विज्ञापन के विनियमन की प्रक्रिया अधिनियम में शामिल की जाती है, जोकि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के मामले में की गई है। तदानुसार, इस आशय के समर्थ उपबन्ध हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 70क रख कर किए जाने हैं।
7. कुछ भवन ऐसे हैं जिन का उपयोग, स्थान जहां वे स्थित हैं, में अनुज्ञेय प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ऐसे भवनों पर सम्पत्ति कर "वास्तविक उपयोग" के आधार पर उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित है, न कि भवन के "अनुज्ञेय उपयोग" पर, चूंकि इसका वास्तविक उपयोग नागरिक सेवाओं पर दबाव डालता है। यद्यपि सम्पत्ति कर, कर के स्वरूप का है जिसका मुहैया की जानी वाली सेवाओं से कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी अभी तक वास्तव में इस कर का उपयोग नागरिक सेवायें मुहैया कराने के लिए भरपूर रूप से नगर पालिका निकायों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैरकानूनी उपयोग की ऐसी किस्म की प्रथा को हतोत्साह करने की भी आवश्यकता है, जोकि पहले से डली हुई सेवाओं पर अत्यधिक दबाव डालती है जो वास्तव में सेवाओं के उच्च रूप से कम करने के परिणामिक है, जोकि कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए असुविधाजनक भी है। तदानुसार, कर विविक्षा के उद्ग्रहण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तथा बढ़ी हुई दरों पर कर उद्गृहीत करके दाण्डिक उपबन्धों की व्यवस्था करने के लिए दोनों कानूनी उपबन्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 75घ तथा 75ड. रखी जानी है।
8. हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के बारे में कोई प्रावधान नहीं है जहाँ वे नगर पालिका निकायों द्वारा मुहैया सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसे विशेष उपबन्ध प्रारम्भ करके इस बारे में स्पष्टता करनी अपेक्षित है। इसलिए, इस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 84क रखी जानी है जोकि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 92 में पहले ही विद्यमान है।
9. सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए तथा बेहतर रूप से विनियमित करने के लिए, राजस्व विभाग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रावधान किये गये हैं। अन्य आवश्यकताओं से अलग, अब अनापत्ति

- प्रमाण—पत्र नगर पालिका निकायों से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उपबन्ध वर्तमान कानून में विद्यमान नहीं है। तदानुसार, इस आशय के लिये समर्थ उपबन्ध हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में धारा 99क रख कर किया जाना अपेक्षित है।
10. दिनांक 27.03.2001 से नियन्त्रित क्षेत्र के संचालन की शक्तियाँ नगर पालिका निकायों में निहित थी। यह ध्यान में आया है कि कुछ ऐसे स्थान हैं, जहाँ अधिनियम, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिनियम (1963 का अधिनियम 41) के उपबन्धों के बारे में मौन हैं। तदानुसार, दिनांक 27 मार्च, 2001 से भूतलक्षी प्रभाव से, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203छ में परन्तुक रखकर समर्थ उपबन्ध करने की आवश्यकता है।
11. बिजली, जल तथा मलजल कनेक्शन की स्वीकृति/जारी करने के लिए अदेय प्रमाण पत्र के बारे में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में उपलब्ध वर्तमान उपबन्ध अस्पष्ट है। इसे दिनांक 2 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी प्रभाव से, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203ज प्रतिस्थापित करके स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इसलिये, विधेयक है।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 3 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।